मैसूर विश्वविद्यालय

बनाम

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा राजैयाह (मृत)। (2011 की सिविल अपील संख्या 170-173)

/

23 मार्च, 2018

[एन**.** वी**.** रमना और एस**.** अब्दुल नजीर**,** जे**.** जे**.]**

कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 196144(1) और 107-निजी प्रत्यर्थियों ने अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय के खिलाफ विश्वविद्यालय को उनके कब्जे और मुकदमे की संपत्तियों के आनंद में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे दायर किए-मुकदमे की अदालत द्वारा खारिज किए गए मुकदमे, हालांकि, प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा अनुज्ञात गई-विश्वविद्यालय द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई-अपीलों के लंबित होने के दौरान, विश्वविद्यालय ने भूमि न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 05.06.1981 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की, जिसके तहत निजी प्रत्यर्थियों के पक्ष में अधिभोग का अधिकार दिया गया था-अपील के साथ-साथ रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-अपील पर कहा गया:अभिलेख पर रखी गई सामग्रियों से यह स्पष्ट है कि मूल रूप से प्रश्न संपत्ति मैसूर के महाराजा की थी-उन्होंने उक्त संपत्ति भारत के राष्ट्रपति को उपहार में दी-इसके बाद, भारत संघ ने विश्वविद्यालय के पक्ष में 99 वर्षों के लिए उक्त भूमि की 22 एकड़ भूमि पट्टे पर दी-सूट संपत्तियां उक्त भूमि का एक हिस्सा और अंश थीं-इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय उक्त भूमि का पट्टेदार था-इसके अलावा, भूमि न्यायाधिकरण द्वारा बनाए गए घोषणा रजिस्टर में उत्तरदाताओं द्वारा घोषणा पत्र दाखिल करने के लिए कोई प्रविष्टि नहीं है-राज्य ने अपने आपत्तियों के बयान में उपरोक्त विवरण भी दिए हैं-उत्तरदाताओं ने कोई खंडन दस्तावेज दायर नहीं किए हैं-यह स्पष्ट है कि दायर भूमि न्यायाधिकरण का आदेश एक मनगढ़ंत दस्तावेज था-साथ ही, प्रावधान एस. एस.44(1) और के. एल. आर. अधिनियम की धारा 107 यह स्पष्ट करती है कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबंधित या पट्टे पर रखी गई कोई भी भूमि के. एल. आर. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं है-उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित

करने में उचित नहीं था कि निजी उत्तरदाताओं के पास प्रश्न भूमि का कब्जा है-उनका कोई स्वामित्व नहीं है या वे उक्त भूमि के कब्जे में हैं-यह भी स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय उक्त भूमि के वैध कब्जे में है-इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने में उचित नहीं था।

/

/

/

/

/

/

490 ए.

491

एल. आर. एस. द्वारा मैसूर विश्वविद्यालय बनाम राजैयाह (मृत)।

भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाला विश्वविद्यालय-भूमि न्यायाधिकरण का दिनांकित 05.06.1981 आदेश एतद्द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** विचार के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालय अनुसूची संपत्ति का पट्टेदार है।अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि मूल रूप से प्रश्न संपत्ति मैसूर के महाराजा की थी।उन्होंने दिनांक **12.8.1965** के पंजीकृत उपहार**-**विलेख के अनुसार मैसूर में लॉगोपेडिक्स संस्थान शुरू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को उक्त संपत्ति उपहार में दी।चूंकि भूमि उक्त उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं थी**,** इसलिए भारत संघ ने मैसूर विश्वविद्यालय से कुछ और भूमि देने का अनुरोध किया और तदनुसार विश्वविद्यालय ने अपनी **32** एकड़ भूमि दी।उसी के बदले में**,** भारत संघ ने विश्वविद्यालय के पक्ष में **30.11.1997** से शुरू करके उक्त भूमि की **22** एकड़ भूमि **99** वर्षों के लिए पट्टे पर दी।यह दिनांकित **30.11.1970** पंजीकृत पट्टा विलेख से स्पष्ट है।यह एक खाली जमीन थी।अनुसूचिकी सम्पत्तियाँ उक्त भूमि का एक हिस्सा हैं।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय उक्त भूमि का पट्टेदार था।**[**पैरा **19] [498-**ई**-**जी**]**

/

/

/

2. यह अगले प्रश्न की ओर ले जाता है कि क्या उत्तरदाताओं ने अनुसूचित भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार देने के लिए आवेदन किए थे और क्या भूमि न्यायाधिकरण का दिनांकित आदेश उक्त भूमि के संबंध में है।विश्वविद्यालय और राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता प्रश्न भूमि के संबंध में अपने लाभ के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने में कामयाब रहे हैं।इस प्रस्तुतिकरण की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए**,** प्रश्न संपत्तियों के संबंध में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख का सत्यापन किया गया।भूमि न्यायाधिकरण के दिनांकित **5.6.1981** आदेश से पता चलता है कि भूमि न्यायाधिकरण ने **KL/RF/4480/79-80** और **4481/79-80** में अधिभोग का अधिकार देने का आदेश पारित किया।अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि **K.L.R.M. No.4480/1979** और **4481/79** अलग**-**अलग **Cy** के संबंध में है। अलग**-**अलग गाँवों की संख्या**,** दो अलग**-**अलग व्यक्तियों को प्रत्येक को **2** एकड़ भूमि और उक्त मामले में अधिभोग का अधिकार दिया गया था।मैसूर तालुक के कुरुबरहल्ली गाँव से संबंधित भूमि न्यायाधिकरण द्वारा बनाए गए घोषणा रजिस्टर में घोषणा दायर करने के लिए कोई प्रविष्टि नहीं है

/

/

/

/

/

उत्तरदाताओं द्वारा प्रपत्र संख्या **7** में प्रपत्र।जैसा कि ऊपर देखा गया है**, K.L.R.F.** संख्या **4480/79** और **4481/79** दादाडाहल्ली गाँव**,** जयपुरा होबली से संबंधित भूमि के संबंध में है जिसका उपयोग उत्तरदाताओं द्वारा अनुसूचित भूमि के संबंध में अपने पक्ष में फॉर्म **No.10** बनाने के लिए किया गया है।**[**पैरा **20] [498-**जी**-**एच**; 499-**ए**-**डी**]**

3. विश्वविद्यालय ने सहायक दस्तावेजों के साथ उपरोक्त तथ्यों का वर्णन करते हुए आई**.** ए**.** दाखिल किया है।राज्य सरकार ने अपनी आपत्तियों के बयान में उपरोक्त विवरण भी दिए हैं। उत्तरदाताओं ने कोई खंडन दस्तावेज या अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल नहीं किया है।यह स्पष्ट है कि भूमि न्यायाधिकरण का आदेश एक मनगढ़ंत दस्तावेज है।**[**पैरा **21] [499-**ई**.** एफ**.] 4.1** विश्वविद्यालय का वैकल्पिक निवेदन यह है कि अधिभोग अधिकार प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थियों का कथित आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था और कथित आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया है।**[**पैरा **22] [499-**जी**]**

/

/

4.2 एस**.** एस**.** के प्रावधानों से यह स्पष्ट है।**4(1)** और कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम**, 1961** की **107** में कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबंधित या पट्टे पर ली गई कोई भी भूमि के**.** एल**.** आर**.** अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं है। उक्त अधिनियम सरकार की भूमि पर भी लागू नहीं होता है।तत्काल मामले में**,** प्रश्न भूमि विश्वविद्यालय की है।मैसूर के महाराजा द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत उपहार विलेख और भारत के राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख स्पष्ट रूप से उक्त तथ्य को स्थापित करता है।इसलिए**,** यह मानते हुए कि उत्तरदाताओं ने अनुसूची संपत्ति के संबंध में अधिभोग अधिकार देने के लिए आवेदन किए थे**,** उक्त आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं थे और **05.06.1981** दिनांकित आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया है।इसलिए**,** निजी उत्तरदाता दिनांकित **05.06.1981** आदेश के आधार पर अनुसूचित भूमि के संबंध में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।**[**पैरा **24] [500-**एफ**-**एच**; 501-**ए**]**

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2011 की सिविल अपील संख्या 170-173

/

2000 के आर. एस. ए. सं. 456 और 457 और 2001 के डब्ल्यू. पी. सं. 1649 और 4302 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

/

493

एल. आर. एस. द्वारा मैसूर विश्वविद्यालय बनाम राजैयाह (मृत)।

/

देवदत्त कामत, एडिशनल।Adv.General, गुरु कृष्ण कुमार, नागमोहन दास, वरिष्ठ अधिवक्ता।, त्रिदीप पेस, जी. वी. चंद्र शेखर, सुश्री सान्या सूद, सुश्री अंजना चंद्रशेखर, वी. एन. रघुपति, जावेदुर रहमान, आदित्य भट, परीक्षित पी. अंगड़ी, मो. अफजल अंसारी, सुश्री फरहत जहां रहमानी, राजीव सिंह, आनंद संजय एम. नुली, धर्म सिंह, एल. हरीश कुमार, सूरज कौशिक, नंदा कुमार के. बी. (मेसर्स नुली और नुली के लिए), ऋषभ संचेती, सुश्री पद्म प्रिया,

भारत दीप सिंह, सुश्री एम. कार्तिगा, ध्रुव शर्मा, अंचित भंडारी, परिवेंदन, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय में मौजूद अधिकारी

डी. रणदीप आई. ए. एस., न्यायालय उपायुक्त, मैसूर, टी. रमेश बाबू, तहसीलदार, मैसूर, सुश्री डी. भारती कुलसचिव, मैसूर विश्वविद्यालय, एम. एस. बोपन्ना, एस. डी. ए., तालुक कार्यालय, मैसूर।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे. 1.अपीलार्थी-मैसूर विश्वविद्यालय ने इन अपीलों को कर्नाटक उच्च न्यायालय , बैंगलोर द्वारा 2000 के आर. एस. ए. Nos.456,2000 के 457 और 2001 के डब्ल्यू. पी. संख्या 1649 और 2001 के 4302 दिनांक 25.06.2004 में पारित सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलों और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

/

/

2. राजैया की उनके एल. आर. और चामुंडी (जिसे इसके बाद 'निजी उत्तरदाता' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा मृत्यु के बाद से स्वर्गीय नंजैया थावरेकट्टे के दोनों बेटों ने विश्वविद्यालय, उनके अधिकारियों, अधीनस्थों या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को उनके कब्जे और सूट अनुसूची संपत्तियों के आनंद में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए मैसूर विश्वविद्यालय (जिसे इसके बाद 'विश्वविद्यालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) के खिलाफ मैसूर में द्वितीय मुन्सिफ और जे. एम. एफ. सी. की फाइल पर दो मुकदमे दायर किए, जो ओएस नंबर 20/1995 और ओएस No.21 1995 थे।ओएस सं. 20/1995 में सूट अनुसूची गुण निम्नानुसार हैः-

/

“पट्टा भूमि धारक सी। नं. 4, मैसूर तालुक के कुरुबरहल्ली में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 4 एकड़ है, और उसी सी की 4 एकड़ खरब भूमि है। मैसूर तालुक के कुरुबरहल्ली में स्थित एक ही भूमि से सटे नंबर पर -

/

पूरबः मुख्य सड़क से।पश्चिमः होला द्वारा।

/

494

/

[2018] 10 एस सी आर।

/

दक्षिणःबुल रोड उत्तर सेःनिजी भूमि से। "

ओएस सं. 21/1995 में सूट अनुसूची गुण निम्नानुसार हैः- “पट्टा भूमि धारक सी। नं. 4 मैसूर तालुक के कुरुबरहल्ली में स्थित 4 एकड़ और इसी संख्या में स्थित 4 एकड़ खरब भूमि, जो मैसूर के कुरुबरहल्ली में स्थित उक्त भूमि से मिलती-जुलती है, पूर्व में घिरी हुई हैःहल्ला और राजैया वेस्ट की संपत्तिःआर. के. मुथु साउथ की संपत्ति सेःबुल रोड से।

/

/

उत्तर दिशाःनारायणप्पा की भूमि से। "

3. ओ. एस. नं. 20/95 में निजी प्रतिवादी-राजैया द्वारा अनुरोध किया गया मामला यह है कि वह सी में 4 एकड़ भूमि का किरायेदार था। मैसूर के कुरुबरहल्ली गाँव के नं. 4 और मकान मालिक मैसूर के महाराजा थे।कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'के. एल. आर. अधिनियम') लागू होने पर उन्होंने उक्त भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार की मांग करते हुए एक घोषणा दायर की।विवाद के बाद, भूमि न्यायाधिकरण ने उनके पक्ष में उक्त भूमि के संबंध में अधिभोग का अधिकार प्रदान किया।वह उक्त संपत्ति के कब्जे और आनंद में रहा है।

/

/

4. ओएस No.21/95 अंतर्गत निजी प्रतिवादी-चामुंडी द्वारा सामने रखा गया मामला यह है कि उनके पिता स्वर्गीय नंजैया सी अंतर्गत स्थित 4 एकड़ खरब भूमि से जुड़ी 4 एकड़ पट्टा भूमि के संबंध अंतर्गत एक कृषि किरायेदार थे। मैसूर के महाराजा के अधीन कुरुबरहल्ली गाँव, मैसूर की संख्या 4।अधिनियम के प्रवर्तन पर, अनुसूची संपत्ति सरकार में निहित होती है।उनके पिता ने उपरोक्त 4 एकड़ भूमि के संबंध में अधिभोग का अधिकार देने के लिए एक घोषणा पत्र दायर किया था।प्रतियोगिता के बाद, अधिभोग का अधिकार उनके पिता को 5.6.1981 पर प्रदान किया गया था।उनके पिता की मृत्यु के बाद उक्त संपत्ति का खाता उनके नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था और वह उक्त संपत्ति के कब्जे और आनंद में रहे हैं।

/

/

5. दोनों मुकदमों में, निजी प्रत्यर्थियों ने आगे तर्क दिया है कि प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को उक्त संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व और हित का कोई तरीका नहीं मिला है और विश्वविद्यालय के अधिकारी उक्त संपत्ति के कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

/

495

एल. आर. एस. द्वारा मैसूर विश्वविद्यालय बनाम राजैयाह (मृत)। [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

/

6. विश्वविद्यालय ने दोनों मुकदमों में लिखित बयान दायर कर शिकायत के दावों को खारिज कर दिया।यह तर्क दिया गया था कि भारत के राष्ट्रपति ने कुरुबरहल्ली, कासाबा होबली, मैसूर तालुक के सर्वेक्षण संख्या 4 में 22 एकड़ भूमि के संबंध में पट्टे के विलेख को निष्पादित किया था, जो उत्तर में एस. आई. 4 के शेष हिस्से, दक्षिण में सड़क द्वारा, पूर्व में सड़क द्वारा और पश्चिम में कुरुबरहल्ली के क्रम संख्या 4 के शेष हिस्से से घिरा हुआ था।पट्टा 99 साल की अवधि के लिए था।पट्टा विलेख के आधार पर, विश्वविद्यालय उपरोक्त भूमि के पूर्ण कब्जे और आनंद में रहा है। सूट अनुसूचित संपत्ति इस भूमि का अभिन्न अंग है।यह तर्क दिया गया कि निजी उत्तरदाताओं के पास उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी तरह का अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है।

/

/

7. पक्षों की दलीलों के आधार पर, निचली विचारण न्यायालय ने प्रासंगिक मुद्दों को विरचित किया।पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में सबूत दिए हैं।अभिलेख पर सामग्री की सराहना पर, निचली विचारण न्यायालय ने 5.2.1998 दिनांकित निर्णय और डिक्री द्वारा मुकदमों को खारिज कर दिया।8. निजी उत्तरदाताओं ने द्वितीय अतिरिक्त के समक्ष आर. ए. Nos.87/98 और 88/98 दाखिल करके उक्त निर्णय और डिक्री को चुनौती दी।सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), मैसूर।सुनवाई के बाद, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आई. डी. 1 पर अपीलों को अनुज्ञात कर लिया और निजी उत्तरदाताओं द्वारा दायर मुकदमों का फैसला केवल 4 एकड़ पट्टा भूमि के संबंध में किया गया।4 एकड़ तक की खरब भूमि के संबंध में दोनों मुकदमे खारिज कर दिए गए।

/

/

9. विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2000 का आर. एस. ए. सं. 456 और 2000 का आर. एस. ए. No.457 दाखिल करके प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती दी।

10. इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, विश्वविद्यालय ने 2001 का डब्ल्यू. पी. No.1649 और 2001 का डब्ल्यू. पी. नंबर 4302 दायर किया, जिसमें भूमि न्यायाधिकरण, मैसूर द्वारा के. एल./आर. एफ./4480/79-80 और 4481/79-81 (अनुलग्नक पी-3) में पारित आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी गई, जिसमें 4 एकड़ भूमि के संबंध में अधिभोग का अधिकार निजी प्रतिवादी राजैया और दूसरे निजी प्रतिवादी चामुंडी के पिता नंजैया के पक्ष में दिया गया है।यह तर्क दिया गया था कि मैसूर के महाराजा ने मैसूर तालुक के कासाबा होबली के कुरुबरहल्ली गांव के सर्वेक्षण संख्या 4 में 22 एकड़ भूमि भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में उपहार में दी थी और भारत के राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के पक्ष में उक्त भूमि को पट्टे पर दिया था।प्रश्न भूमि महाराजा की नहीं थी।

/

/

/

मैसूर, जब राजैया और नंजैया ने अधिभोग का अधिकार देने के लिए आवेदन किया था।के. एल. आर. अधिनियम की धारा 107 को ध्यान में रखते हुए, राजैया और नंजैया द्वारा दायर आवेदन विचारणीय नहीं था।यह भी तर्क दिया गया कि भूमि न्यायाधिकरण द्वारा अधिभोग का अधिकार देने वाला आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर था।यह भी तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय को भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था।मैसूर पैलेस को कार्यवाही में एक पक्ष बनाया गया था जिसका संबंधित समय पर प्रश्न भूमि से कोई लेना-देना नहीं है। विश्वविद्यालय ने भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं दायर करने में देरी के लिए ठोस कारण बताए हैं।

/

11. उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.6.2004 के एक सामान्य निर्णय द्वारा अपीलों के साथ-साथ रिट याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

/

12. कर्नाटक राज्य ने इन अपीलों पर यह तर्क देते हुए आपत्तियां दायर की हैं कि निजी उत्तरदाताओं ने अपने लाभ के लिए कुछ फर्जी दस्तावेज बनाने में कामयाबी हासिल की है और इसे दीवानी न्यायालय के समक्ष पेश किया है ताकि यह तर्क देते हुए कि भूमि पर अपना प्रश्न स्थापित किया जा सके कि अधिभोग का अधिकार उनके पक्ष में दिया गया है।यह आगे तर्क दिया गया कि अभिलेख के सत्यापन पर, यह देखा गया कि K.L.R.M. नहीं. 4480/79 मैसूर तालुक के दादाडाहल्ली गाँव के सर्वेक्षण No.42 के संबंध में है, जो 2 एकड़ की सीमा तक है और फॉर्म No.10 के अनुसार अधिभोग का अधिकार मदैया के बेटे श्री सिद्धैया को दिया गया था।K.L.R.M. No.4481/79 मैसूर तालुक के दादाडाहल्ली गाँव के सर्वेक्षण No.39 के संबंध में है, जो 2 एकड़ की सीमा तक है, और कब्जा का अधिकार नानजेगौड़ा के बेटे श्री शिवन्ना के पक्ष में दिया गया है।मैसूर तालुक के कुरुबरहल्ली गाँव से संबंधित घोषणा रजिस्टर के अवलोकन पर, यह देखा गया कि निजी उत्तरदाताओं द्वारा प्रपत्र संख्या 7 में घोषणा दाखिल करने के लिए कोई प्रविष्टि नहीं है।K.L.R.F. जिसका नंबर 4480/79 और 4481/79 है, वह दादाडाहल्ली गाँव, जयपुरा होबली से संबंधित भूमि के संबंध में है, जिसका निजी उत्तरदाताओं द्वारा धोखाधड़ी से उपयोग किया गया है, केवल विश्वविद्यालय से संबंधित भूमि पर अवैध रूप से अधिकारों का दावा करने के लिए उनके पक्ष में फॉर्म No.10 बनाया गया है।निजी उत्तरदाताओं ने कुरुबरहल्ली गाँव के संबंध में रखे गए रजिस्टर के अनुसार वाद अनुसूची संपत्ति के संबंध में प्रपत्र संख्या 7 में कोई आवेदन दायर नहीं किया है।यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी-वादी न्यायालय में साफ हाथों से नहीं आए हैं।इसलिए, तहसीलदार, मैसूर तालुक ने अधिकार क्षेत्र पुलिस को दिनांकित 23.1.2012 और अधिकार क्षेत्र A के पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है।

/

/

/

/

/

497

एल. आर. एस. द्वारा मैसूर विश्वविद्यालय बनाम राजैयाह (मृत)। [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

पुलिस ने मैसूर की तीसरी जे. एम. एफ. सी. न्यायालय में एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें राजैया और नंजैया के एल. आर. के खिलाफ धारा 465,466,468 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता सी. की 471,120 (बी) और 420 और कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम, 1964 की धारा 192 (ए)।

13. अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरु कृष्ण कुमार प्रस्तुत करते हैं कि निजी उत्तरदाताओं द्वारा विषय भूमि पर स्थापित स्वामित्व धोखाधड़ी है और जाली दस्तावेजों पर आधारित है।राजैया और नंजैया ने अनुसूचित भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार देने के लिए आवेदन दायर नहीं किए थे।श्री सिद्धैया और श्री शिवन्ना ने दादाडाहल्ली गांव में कुछ अन्य भूमि के संबंध में आवेदन दायर किए हैं।भूमि न्यायाधिकरण के दिनांक 5.6.1981 के आदेश को जाली बनाते समय दूसरे गाँव के लिए आवेदनों के लिए संदर्भ संख्या का अनैतिक रूप से उपयोग किया गया है।

/

/

14. वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मैसूर के महाराजा ने कुरुबरहल्ली, कासाबा होबली, मैसूर तालुक के सर्वेक्षण संख्या 4 में 22 एकड़ भूमि भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में एक पंजीकृत उपहार-विलेख दिनांक 12.8.1965 (अनुलग्नक P-1) द्वारा दी थी और उक्त भूमि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के पक्ष में दिनांक 30.11.1970 (अनुलग्नक P-2) के पट्टे के विलेख द्वारा पट्टे पर दी गई थी।निर्धारित तिथि पर यह भूमि मैसूर के महाराजा की नहीं थी।न तो विश्वविद्यालय और न ही भारत सरकार को भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया था।लेकिन, मैसूर पैलेस को एक पक्ष बनाया गया था जिसका भूमि से कोई लेना-देना नहीं है जब कथित रूप से अधिभोग का अधिकार देने के लिए आवेदन किया गया था।उक्त अधिनियम की धारा 107 के संबंध में सरकार से संबंधित या विश्वविद्यालय द्वारा पट्टे पर रखी गई भूमि पर के. एल. आर. अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

/

/

15. यह आगे तर्क दिया जाता है कि निजी उत्तरदाताओं के पास अनुसूची संपत्ति का कब्जा नहीं है।भूमि का कब्जा विश्वविद्यालय के पास है और रहा है।निजी उत्तरदाताओं द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता चलने पर, विश्वविद्यालय ने 2010 के आई. ए. Nos.12-15 के माध्यम से और कर्नाटक राज्य ने शपथपत्र के साथ लिखित बयान के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों को इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर रखा।निजी उत्तरदाताओं ने किसी भी खंडन योग्य दस्तावेज को रिकॉर्ड में नहीं रखा है।यह तर्क दिया जाता है कि विश्वविद्यालय ने भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में देरी के लिए उचित कारण भी बताए हैं।हालाँकि, उच्च न्यायालय उक्त कारणों को स्वीकार करने में विफल रहा है।

/

/

/

16. प्रत्यर्थी-कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री देवदत्त कामत ने अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए रुख का समर्थन किया है।उन्होंने प्रश्न भूमि के संबंध में मूल अभिलेख प्रस्तुत किए हैं।उन्होंने बताया कि जब राजैया और नंजैया द्वारा अधिभोग का अधिकार देने के लिए आवेदन किए गए थे, तब यह भूमि मैसूर पैलेस की नहीं थी।अनुलग्नक पी-3 में 5.6.1981 दिनांकित आदेश एक जाली दस्तावेज है।

/

17. निजी उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री नागमोहन दास ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि न्यायाधिकरण ने निजी प्रत्यर्थियों के पक्ष में उक्त भूमि के संबंध में अधिभोग का अधिकार उचित रूप से प्रदान किया है।जब अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उन्होंने निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे दायर किए, जो प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा घोषित किए गए थे।उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय द्वारा दायर दूसरी अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया है।विद्वान वकील इन अपीलों को खारिज करने के लिए प्रार्थना करते हैं।18. हमने बार में पक्षकारों के लिए विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

/

/

19. आग्रह की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालय अनुसूची संपत्ति का पट्टेदार है।अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि मूल रूप से प्रश्न संपत्ति मैसूर के महाराजा की थी।उन्होंने दिनांक 12.8.1965 के अनुलग्नक पी-1 में पंजीकृत उपहार-विलेख के अनुसार मैसूर में लॉगोपेडिक्स संस्थान शुरू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को उक्त संपत्ति उपहार में दी।चूंकि भूमि उक्त उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए भारत संघ ने मैसूर विश्वविद्यालय से कुछ और भूमि देने का अनुरोध किया और तदनुसार विश्वविद्यालय ने अपनी 32 एकड़ भूमि दी।उसी के बदले में, भारत संघ ने विश्वविद्यालय के पक्ष में 30.11.1997 से शुरू करके उक्त भूमि की 22 एकड़ भूमि 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दी।यह अनुलग्नक पी-2 दिनांक 30.11.1970 पर पंजीकृत पट्टा विलेख से स्पष्ट है।यह एक खाली जमीन थी।अनुसूचिकी सम्पत्तियाँ उक्त भूमि का एक हिस्सा हैं।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय उक्त भूमि का पट्टेदार था।

/

/

/

20. यह हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है कि क्या राजैया और नंजैया ने अनुसूचत भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार देने के लिए आवेदन किए थे और क्या अनुलग्नक पी-3 दिनांक 5.6.1981 में भूमि न्यायाधिकरण का आदेश उक्त भूमि के संबंध में है।द ए.

/

विश्वविद्यालय और राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाता प्रश्न भूमि के संबंध में अपने लाभ के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने में कामयाब रहे हैं।इस प्रस्तुतिकरण की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए, हमने प्रश्न संपत्तियों के संबंध में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख का सत्यापन किया है।अनुलग्नक पी-3 में भूमि न्यायाधिकरण के दिनांकित 5.6.1981 आदेश से पता चलता है कि भूमि न्यायाधिकरण ने के. एल./आर. एफ./4480/79-80 और 4481/79-80 में अनुलग्नक पी-3 में अधिभोग का अधिकार देने का आदेश पारित किया।अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि K.L.R.M. No.4480 1979, स्य के संबंध में है। मैसूर तालुक के दादाडाहल्ली गाँव की 2 एकड़ भूमि और उक्त मामले में अधिभोग का अधिकार मदैया के पुत्र श्री सिद्धैया को दिया गया था।K.L.R.M. No.4481/79, Cy के संबंध में है। मैसूर तालुक के दादाडाहल्ली गाँव की 2 एकड़ भूमि और उक्त मामले में अधिभोग का अधिकार नानजेगौड़ा के पुत्र श्री शिवन्ना के पक्ष में दिया गया था।कुरुबरहल्ली, मैसूर तालुक से संबंधित भूमि न्यायाधिकरण द्वारा बनाए गए घोषणा रजिस्टर में राजैया और नंजैया द्वारा फॉर्म संख्या 7 में घोषणा पत्र दाखिल करने के लिए कोई प्रविष्टि नहीं है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, K.L.R.F. संख्या 4480/79 और 4481/79 दादाडहल्ली गाँव, जयपुरा होबली से संबंधित भूमि के संबंध में है जिसका उपयोग राजैया और नंजैया ने अनुसूचित भूमि के संबंध में अपने पक्ष में फॉर्म No.10 बनाने के लिए किया है।21. विश्वविद्यालय ने सहायक दस्तावेजों के साथ उपरोक्त तथ्यों का वर्णन करते हुए 2010 का आई. ए. Nos.12-15 दाखिल किया है।राज्य सरकार ने भी अपनी आपत्तियों के बयान में उपरोक्त विवरण दिए हैं।आई. ए. संख्या 12-15/2010 वर्ष 2010 में दायर की गई है और राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में आपत्तियां दायर की हैं।उत्तरदाताओं ने कोई खंडन दस्तावेज या अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल नहीं किया है।यह स्पष्ट है कि अनुलग्नक पी-3 में भूमि न्यायाधिकरण का आदेश एक मनगढ़ंत दस्तावेज है।

/

/

/

/

/

22. आइए अब हम विश्वविद्यालय के वैकल्पिक निवेदन पर विचार करें कि अधिभोग का अधिकार देने के लिए राजैया और नंजैया का कथित आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था और अनुलग्नक पी-3 में कथित आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया है।के. एल. आर. अधिनियम, 1961 की धारा 44 (1), जो डब्ल्यू. ई. एफ. 1.3.1974 से लागू हुई, राज्य सरकार को भूमि सौंपने का प्रावधान करती है।यह नीचे लिखा हैः

/

“44. राज्य सरकार में भूमि निहित करना।—(1) सभी जमीनें

किरायेदारों द्वारा या उनके कब्जे में (किरायेदारों सहित)

/

जिनके पास धारा 5 के अंतर्गत अनुमत पट्टों के अंतर्गत उनके द्वारा धारित भूमि के अलावा, संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले बेदखली के लिए एक डिक्री या आदेश या फिर से शुरू करने के लिए एक प्रमाण पत्र बनाया या जारी किया जाता है, उक्त तिथि को और उससे प्रभावी होकर राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा और निहित होगा। "23. के. एल. आर. अधिनियम कुछ भूमि पर लागू नहीं किया गया है।अधिनियम की धारा 107 से यह स्पष्ट है। इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक प्रावधान धारा 107 की उप-धारा (1) (i) और (iii) हैं, जो निम्नानुसार हैः

/

“107. अधिनियम कुछ भूमि पर लागू नहीं होता है।—(1) विषय के अधीन

धारा 110 के प्रावधान, धारा 8 के अलावा इस अधिनियम में कुछ भी भूमि पर लागू नहीं होगा,

-

/

((i) सरकार से संबंधित;

((iii) किसी स्थानीय प्राधिकरण से या उससे पट्टे पर ली गई, कर्नाटक कृषि उपज विपणन विनियमन अधिनियम, 1966 (1966 का कर्नाटक अधिनियम संख्या 27) के अंतर्गत गठित एक कृषि उपज विपणन समिति, भारत में विधि द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय, [राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दोनों के स्वामित्व या नियंत्रण वाला एक शोध संस्थान] [राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक कृषि अनुसंधान संस्थान], कर्नाटक पोषण यज्ञ अधिनियम, 1963 (1963 का कर्नाटक अधिनियम संख्या 34) के अंतर्गत स्थापित कर्नाटक पोषण यज्ञ बोर्ड। "

/

/

24. उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबंधित या पट्टे पर ली गई कोई भी भूमि के. एल. आर. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं है। उक्त अधिनियम सरकार की भूमि पर भी लागू नहीं होता है।तत्काल मामले में, प्रश्न भूमि विश्वविद्यालय की है।भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में मैसूर के महाराजा द्वारा निष्पादित अनुलग्नक पी-1 में दिनांकित 12.8.1999 का पंजीकृत उपहार विलेख और भारत के राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के पक्ष में निष्पादित दिनांकित 30.11.1970 पट्टा विलेख स्पष्ट रूप से उक्त तथ्य को स्थापित करता है।इसलिए, यह मानते हुए कि राजैया और नंजैया ने अनुसूचित संपत्ति के संबंध में अधिभोग अधिकार देने के लिए आवेदन किए थे, उक्त आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं थे और अनुलग्नक पी-3 में आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया है।इसलिए, निजी उत्तरदाता ए नहीं कर सकते हैं

/

/

/

501

एल. आर. एस. द्वारा मैसूर विश्वविद्यालय बनाम राजैयाह (मृत)। [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

अनुलग्नक पी-3 के आदेश के आधार पर अनुसूची भूमि के संबंध में किसी भी अधिकार का दावा करें।

25. निजी उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील के इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं है कि रिट याचिकाएं अत्यधिक विलंबित हैं।जैसा कि ऊपर कहा गया है, न तो विश्वविद्यालय और न ही भारत सरकार को भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया था।

हालांकि मैसूर पैलेस को एक पक्ष बनाया गया था, लेकिन इसका प्रासंगिक समय पर प्रश्न भूमि से कोई लेना-देना नहीं है।प्रश्न भूमि नियत तिथि पर राज्य सरकार में निहित नहीं थी, अर्थात् 1.03.1974 क्योंकि यह विश्वविद्यालय से संबंधित है।जब उपायुक्त ने विश्वविद्यालय को सूचित किया कि कुछ व्यक्ति भूमि न्यायाधिकरण के आदेश के आधार पर अपने नामों में अभिलेख बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय ने उक्त आदेश को चुनौती देने के लिए कदम उठाए।हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेख स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि विश्वविद्यालय ने उक्त आदेश को उसके बाद लगन से चुनौती देने के लिए कदम उठाए हैं।हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने विलंब और विलंब के आधार पर रिट याचिकाओं को खारिज करने में न्यायसंगत नहीं था।

/

/

/

26. अनुलग्नक आर-6 में सहायक आयुक्त के दिनांकित 20.1.2012 आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विश्वविद्यालय उक्त भूमि के कब्जे में है।बार में यह प्रस्तुत किया जाता है कि सहायक आयुक्त के उक्त आदेश को निजी प्रतिवादियों द्वारा एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और उक्त रिट याचिका लंबित है।यह भी स्पष्ट है कि निजी प्रतिवादियों के खिलाफ अधिकार क्षेत्र की पुलिस द्वारा दायर आपराधिक मामला भी तीसरी जेएमसी न्यायालय , मैसूर के समक्ष लंबित है।संबंधित अदालतों से अनुरोध है कि वे इन मामलों का विधि के अनुसार शीघ्रता से निपटारा करें।

/

27. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि निजी उत्तरदाताओं के पास प्रश्न भूमि का कब्जा है।उनके पास कोई अधिकार नहीं है या उक्त भूमि पर उनका कब्जा नहीं है।यह भी स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय उक्त भूमि के वैध कब्जे में है।हमारा यह भी विचार है कि उच्च न्यायालय ने अनुलग्नक पी3 में भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली विश्वविद्यालय द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने में न्यायसंगत नहीं था।विश्वविद्यालय द्वारा दायर नियमित दूसरी अपीलों को खारिज करने में भी उच्च न्यायालय उचित नहीं था।

/

/

28. पूर्व-वर्णित कारणों से, आर. एस. ए. सं. 456/2000 और 457/2000 में उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री के साथ-साथ 1998 के आर. ए. सं. 87 और 88 में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को भी दरकिनार कर दिया गया है।द.

/

ओएस संख्या 20/95 और 21/95 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित 5.2.1998 दिनांकित निर्णय और डिक्री को बहाल किया जाता है।डब्ल्यू. पी. Nos.1649/2001 और 4302/2001 में उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और विश्वविद्यालय द्वारा दायर रिट याचिकाओं की अनुज्ञात जाती है।भूमि न्यायाधिकरण, मैसूर (अनुलग्नक पी-3 में) का दिनांकित आदेश सं. के. एल./आर. एफ./4480/79-80 और 4481/79-80 को रद्द कर दिया जाता है।

/

29. तदनुसार अपीलों की अनुज्ञात जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/

/

/

/

/

/